न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार–।

राजस्व आवेदन सं. 201/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. उतमसिंह पुत्र भूरसिंह 2. खेत कंवर पत्नी भूरसिंह, जाति–राजपूत, नि0 हरसाणी, तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाडमेर 2. निम्बसिंह पुत्र बचेसिंह, जाति– राजपूत, नि0 हरसाणी तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राज पेरोकार तहसीलदार

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–ः आदेशः–

दिनांक :– 20/1/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम ताणुमानजी, पटवार मण्डल–ताणुमानजी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 861 रकबा 5.4875 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा नम्बर 1095/861 रकबा 5.4875 हैक्टैयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 की पूर्व मे सामलाति एवं पैतृक खातेदारी की भूमि हैं जिसमें वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 के वालिद काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे थे। उसके पश्चात आपसी समति विभाजन से पृथक पृथक खसरा नम्बर कायम किये गये लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो ने लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित नहीं की। राज्य सरकार द्वारा सेग्रीकेशन अभियान के तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा वास्तिवक मौका स्थिति का अवलोकन किये बिना गलत तरमीम अंकित कर दी जिससे वर्तमान लठ्ठा नक्शा की तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा यह तरमीम दुरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नोटिस रजिस्टर डाक से तामिली सुदा प्राप्त हुऐ विप्रार्थी संख्या 2 की दिनांक 06.05.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार मौजा–ताणुमानजी, पटवार मण्डल– ताणुमानजी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 861 रकबा 8.4875 हैक्टेयर का मौका मुआयना संबंधित खातेदार सेडा पडोसियान तथा रूबरू मौतबरानी के देखा गया। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम को **प्रपत्र अ** में दर्शाया गया है तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम को **प्रपत्र ब** में दर्शाया गया है, उक्त सभी खातेदार **प्रपत्र ब** अनुसार मौके पर काश्त करते है। अतः **प्रपत्र ब** अनुसार ही तरमीम शुद्व किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ ने भी अपनी मौका रिपोर्ट तरमीम दुरस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। मौका फर्द के संलग्न **परिशिष्ट ब** अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण मौके पर काबिज है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण की भूमि पूर्व में सामलाति खातेदारी भूमि थी और सेग्रीकेशन अभियान में उक्त खसरों के मध्य राजस्व कर्मचारीयो ने मौका स्थिति का अवलोकन किये बिना गलत तरमीम अंकित कर दी जिससे लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन नक्शा में **परिशिष्ट अ** के अनुसार तरमीम की गई है जबकि वास्तविक लट्ठा ट्रेस अनुसार

तरमीम **परिशिष्ट ब** अनुसार ही है। अतः **परिशिष्ट ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 861 रकबा 5.4875 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 1095/861 रकबा 5.4875 हैक्टेयर भूमि मौजा–ताणुमानजी, पटवार मण्डल– ताणुमानजी, तह0 गडरारोड़ की भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान ऑनलाईन नक्शा में की गई तरमीम **परिशिष्ट अ** को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** अनुसार तरमीम लट्ठ नक्शा व ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार तरमीम लट्ठा नक्शा व ऑनलाईन तरमीम नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 20/1/26 को सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.05 19:07:05 IST
Reason: SelfAttested